

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 124 का प्रश्नांश (ख) का परिशिष्ट (अ) पेज संख्या - 01
मान0 श्रीमती मनीषा सिंह विधायक
10.12.2019 - 18.12.2019

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर (म0प्र0)

क्र0/स्था.नर्सिंग/2019/

अनूपपुर, दिनांक -

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.) द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 6-1/2019/एक-9 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2019 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के पालन में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय अनूपपुर के अनुमोदन उपरान्त श्रीमती चन्दा शर्मा, स्टाफ नर्स सामु.स्वा.केन्द्र कोतमा का स्थानांतरण प्रशासनिक रूप से सामु.स्वा.केन्द्र पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर तत्काल प्रभाव से किया जाता है। आदेश प्रसारण दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्थानांतरित स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त माना जायेगा।

स्थानांतरण किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले स्थान में उपस्थित होने के पश्चात ही स्वीकृत किया जायेगा। स्थानांतरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में मेडिकल बोर्ड की अनुमति के आधार पर चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है, या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि को अनुपस्थित मानकर डाईजनाम माना जायेगा। इसके अलावा इसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

अनूपपुर, दिनांक- 09/03/2019

पृ0क्र0/स्था.नर्सिंग/2019/766-67

प्रतिलिपि :- वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निज सचिव, माननीय प्रभारीमंत्री महोदय, जिला अनूपपुर (म.प्र.)।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)।
5. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय अनूपपुर संबंधित स्टाफनर्स को कार्यमुक्त/उपस्थित कराकर अवगत करावें।
6. जिला कोषालय अधिकारी अनूपपुर (म.प्र.)।
7. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र कोतमा/पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर (म.प्र.)।
8. लेखापाल/स्थापना नर्सिंग, स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी श्रीमती चन्दा शर्मा, स्टाफ नर्स सामु.स्वा.केन्द्र कोतमा की ओर पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

मानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 124 का प्रश्नांश (ख) का परिशिष्ट (ब) पेज संख्या - 01

मान0 श्रीमती मनीषा सिंह विधायक

10.12.2019 - 18.12.2019

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर

क्र0/स्थापना नर्सिंग/2019/3462

अनूपपुर दिनांक...03.12.2019

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्र./स्था.नर्सिंग/2019/766 अनूपपुर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा श्रीमती चंदा शर्मा स्टाफ नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोतमा जिला अनूपपुर का प्रशासनिक रूप से स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर किया गया था।

संबंधित स्टाफ नर्स के द्वारा स्थांतरित स्थल हेतु कार्य मुक्त न होने के कारण श्रीमती चंदा शर्मा को आज दिनांक 03.12.2019 से एकतरफा कार्य मुक्त करते हुये आदेशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति अबिलम्ब बी.एम.ओ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत करें।

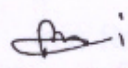
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

क्र0/स्थापना नर्सिंग/2019/3462-63

अनूपपुर दिनांक.03.12.2019

प्रतिलिपि- वारंते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निज सचिव, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जिला अनूपपुर (म.प्र.)।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला अनूपपुर म.प्र.।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
5. खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकासखण्ड पुष्पराजगढ़/कोतमा जिला अनूपपुर।
6. लेखापाल स्थानीय कार्यालय।
7. संबंधित श्रीमती चंदा शर्मा सामु.स्वा.केन्द्र कोतमा जिला अनूपपुर।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

संशोधित जानकारी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

फोन/फैक्स नं. 07659-222647

ई-मेल cmhoanu-mp@nic.in

क्र./वि.स./2019/3464

अनूपपुर, दिनांक- 03.12.2019

प्रति,

संचालक (विधानसभा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल मध्यप्रदेश

विषय :- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 124 की जानकारी।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 124 श्रीमती मनीषा सिंह के द्वारा जिला अनूपपुर अंतर्गत स्थानान्तरित स्टाफ नर्स को कार्यमुक्त नही किये जाने के संबंध में चाही गयी जानकारी तैयार कर सादर प्रेषित है-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या जिला अनूपपुर अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के आदेश क्रमांक पृ.क्र./स्था.नर्सिंग/2019/766-67 दिनांक 09.03.2019 के द्वारा श्रीमती चन्दा शर्मा स्टाफ नर्स का प्रशासनिक स्थानान्तरण सी.एच.सी.कोतमा से सी.एच.सी.पुष्पराजगढ़ के लिये किया गया है? यदि हां तो उक्त आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें।	जी हाँ। माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर की अनुशंसा एवं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरान्त श्रीमती चन्दा शर्मा का स्थानांतरण किया गया था। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।
ख	प्रश्नांश (क) यदि हां हो तो उक्त स्टाफ नर्स के कार्यमुक्त न होने पर अभी तक एक तरफा कार्यमुक्त न किये जाने हेतु कौन-कौन से अधिकारी दोषी है? तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी? तथा श्रीमती चन्दा शर्मा स्टाफ नर्स को कब तक स्थानान्तरित स्थान हेतु एक तरफा कार्यमुक्त किया जावेगा?	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर के आदेश क्र0/स्थापना नर्सिंग/2019/3462 दिनांक 03.12.2019 द्वारा चन्दा शर्मा स्टाफ नर्स को सी.एच.सी. पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर के लिये एकतरफा कार्यमुक्त किया जा चुका है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग	प्रश्नांश (क) में उल्लेखित श्रीमती चन्दा शर्मा स्टाफ नर्स का स्थानान्तरण आदेश यदि निरस्त किया गया हो तो स्थानान्तरण निरस्त किये जाने वाले आदेश की भी छायाप्रति उपलब्ध करावें।	जी नहीं स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किया गया है।
घ	क्या यह सत्य है कि जिला-अनूपपुर अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा जारी आदेशों का पालन अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाता है? जिले की प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प हो गई है?	जी नहीं। अधिकारियों के आदेशों का पालन पूर्णतः किया जाता है। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था शासन के निर्देशानुसार संचालित है।

पृ.क्र./वि.स./2019/3464-65

प्रतिलिपि- वास्ते सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु-

1. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग-रीवा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला अनूपपुर (म0प्र0)

अनूपपुर, दिनांक- 03.12.2019

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला अनूपपुर (म0प्र0)